कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक 1984/ 14 एम0जी0 /2026-27 दिनांकः 12/05/2026

सेवा में,

SHITAL INFRADEVELOPERS
PRIVATE LIMITED
SECTOR C-1124, INDIRA NAGAR,
LUCKNOW-226016

विषय :- रोड कटिंग के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक-02.05.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0–1932/रोड कटिंग/2026–27 दिनांक 08.05.2026 द्वारा रू0 59,400.00 मात्र का प्रोफार्मा बिल प्रेषित किया गया था। उक्त प्रोफार्मा बिल के परिपेक्ष्य में आप द्वारा धनराशि रू0 59,400.00 मात्र की डी0डी0 सं0–001417 दिनांक–11.05.2026 के द्वारा इस खण्ड में जमा कर दी गयी है। अतः उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में आपको कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–93/कैम्प–प्र0अभि0 (विकास)/07–विविध दि0–22.02.2007 के अनुसार रोड कटिंग की अनुमति तालिका में उल्लिखित मार्ग पर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदानं की जाती है।

क्रम सं0	मार्ग का नाम	कटिंग स्थल/चैनेज	खुदाई का क्षेत्रफल	कटिंग सतह का
1.	चौधरीखेड़ा सम्पर्क मार्ग (ग्रा0मार्ग)	लंम्बाई-0.006 कि0मी0	1x 6.00 x 2.00 =12.00 Sqm	पक्का

1. रोड कटिंग लेपित सतह के किनारे से अधिकतम दूरी पर ही किया जाय।
2. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यस्थल पर 1 साइन बोर्ड लगाया जाय जिस पर अनुमति पत्र का संदर्भ तथा कार्य प्रारमभ करने एवं पूर्ण करने की तिथि अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. पर्यावरण एवं पुरातत्व विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. पाइप डालने से पहले उसके नीचे सीमेन्ट कंक्रीट या हार्ड स्ट्रेटा डाला जाये ताकि पाइप के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना कम हो तथा भविष्य में मरम्मत हेतु रोड कटिंग से बचा जा सके। उक्त कार्य से पूर्व उक्त कार्य की ड्राइंग एवं सेक्शन तथा गहराई सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा अनुमोदन कराने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाये। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग को सूचित करना होगा।
5. रोड कटिंग के समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई दुर्घटना न हो यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कटिंग एजेन्सी की होगी।
6. कटिंग एरिया (क्षेत्रफल) अधिक होने पर उसका अतिरिक्त भुगतान करने के पश्चात ही रोड काटने दिया जायेगा।
7. रोड कटिंग करते समय यातायात के सुगम संचालन हेतु आवश्यक साईन बोर्ड, काशन बोर्ड, बैरियर एवं रात्रि के समय लाल व हरी बत्ती लगाने के बाद ही रोड कटिंग की जाये।
8. अनुमति पत्र रोड काटने के समय कटिंग एजेन्सी अपने साथ रखेगी ताकि आवश्यकता के समय माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।
9. जब कभी विभाग को मार्ग चौडीकरण एवं अन्य कारणों से उक्त स्थल की आवश्यकता होगी तो पाईप डालने वाले विभाग/कम्पनी/फर्म को उक्त पाईप/केबिल अपने खर्चे पर हटाकर पूर्व स्थिति में लोक निर्माण विभाग को उक्त स्थल उपलब्ध कराना होगा।
10. फर्म द्वारा पाईप लाइन 2.00 मीटर गहराई में ही डाली जायेगी।
11. प्रश्नगत रोड कटिंग से सम्बन्धित यदि किसी अन्य विभाग की अनुमति की आवश्यकता हो तो यह आवेदक को स्वयं अपने स्तर पर लेनी होगी, जिसका विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. उक्त रोड कटिंग के कारण यदि किसी सर्विस लाईन/केबिल आदि की क्षति होती है अथवा उस कारण भविष्य में मार्ग को कोई भी क्षति पहुँचती है तो उसकी मरम्मत का सम्पूर्ण हर्जाना सम्बन्धित कटिंग एजेंसी को स्वयं वहन करना होगा।

13 रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व केबिल/**पाइप** लाईन डालने वाले अन्य विभागों से आपसी सम्न्वय स्थापित करने के पश्चात ही रोड कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाय जिससे कि मार्ग पर पूर्व से पड़ी केबिल/पाइप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना न हो।

14 रोड कटिंग का कार्य अनुमति निर्गत होने की तारीख से 01 माह के अदर ही पूर्ण कराना होगा। उसके बाद यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

15 यदि मार्ग पर रोड कटिंग का कार्य 01 माह के अन्दर पूर्ण नहीं होता है तो समय वृद्धि स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

16 प्लाटिंग हेतु सक्षम विभाग (एल0डी0ए0/नगर निगम) की अनुमति प्राप्त होने एवं इस कार्योलय को उक्त की प्रति उपलब्ध कराने के उपरान्त ही मार्ग पर कटिंग की अनुमति सशर्त अलग से प्रदान की जायेगी।

12/05/26

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2,लो0नि0वि0,
लखनऊ

पत्रांक / 14 एम0जी0 /2026-27 दिनांकः

1 प्रतिलिपि–सहायक अभियन्ता (तृतीय)/श्री मोहित कटियार, अवर अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 प्रतिलिपि–अवर अभियन्ता(प्रा0), निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, लखनऊ रिकार्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2,लो0नि0वि0,
लखनऊ